



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: डी0एस0डब्लू/ 95 /2018-19
दिनांक: 24.04.2018

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

प्रेषक,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्रचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

विषय:- माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-118/13 विक्रान्त तोंगड बनाम इन्वायरलमेंट पल्यूशन (प्रिवेन्शन कन्ट्रोल) अथारिटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11 दिसम्बर 2015 के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02-04-2018 के सम्बन्ध में कार्यवाही।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध पत्र संख्या 772/सत्तर-3-2018-772/2018 दिनांक 11 अप्रैल 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-118/13 विक्रान्त तोंगड बनाम इन्वायरलमेंट पल्यूशन (प्रिवेन्शन कन्ट्रोल) अथारिटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11 दिसम्बर 2015 के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02-04-2018 को दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रदेश के शहरों में स्थित विद्यालय / शैक्षिक संस्थाओं जहाँ अधिक संख्या में जनसंख्या का आगमन होता हो वहाँ एयर फिल्टर की स्थापना करायी जाए तथा विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया जाए जिसके लिए यथावश्यक गोष्ठियों / कार्यशालाओं आदि का आयोजन भी किया जाए।

अतः उक्त क्रम में समस्त प्राचार्य / प्राचार्या (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों) से अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए एयर फिल्टर लगाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही एवं पर्यावरण जागरूकता के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम की आख्या, फोटोग्राफ, सी0डी0 तथा अखबार की कटिंग सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि आप द्वारा आख्या समय से नहीं उपलब्ध करायी जाती है तो आपकी प्रगति शून्य मानते हुए कुलसचिव जी के माध्यम से शासन को अवगत करा दिया जायेगा।

भवदीय

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:-

- 1-निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2-वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- 3-विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग को इस आशय से प्रेषित कि परिसर स्थित समस्त पाठ्यक्रमों के छात्र / छात्राओं हेतु पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम / गोष्ठी समयबद्ध रूप से सम्पादित करवाएं।
- 4-विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस सूचना को जनहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- 5-वेबसाइट प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस सूचना को (मूलपत्र के साथ) वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

516
216
19/4/18

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या-777/सत्तर-3-2018-772/2018

प्रेषक,
सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
इलाहाबाद।

2- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

12.4.18
34
936
0

उच्च शिक्षा अनुमौग-3

लखनऊ:: दिनांक 11 अप्रैल, 2018

विषय:-माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-118/13 विकान्त कुमार तोंगड बनाम इन्वायरलमेंट पल्यूशन (प्रिवेन्शन कन्ट्रोल) अधारिटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02-04-2018 के सम्बन्ध में कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1117/12-2-2018-14/2016 दिनांक 28 मार्च, 2018 तथा उसके साथ संलग्न पर्यावरण अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 11 दिसम्बर 2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 23-11-2016 के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त पर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही से कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। अतः उक्त सन्दर्भित पत्र तथा कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त कार्यवृत्त में उल्लिखित शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाए। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं प्रदेश के मुख्य शहरों में स्थित विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं एवं ऐसे सार्वजनिक स्थल जहाँ अधिक संख्या में जनसंख्या का आवागमन होता हो वहाँ एयर फिल्टर की स्थापना करायी जाए तथा विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया जाए जिसके लिए यथावश्यक गोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन भी किया जाए साथ ही मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की प्रथम

आधिष्ठाता द्वारा
कल्याण

12/04/18

श्री सतीश सिंह

श्री दिवाकर शर्मा
पत्रालेख प्रस्तुत करें।
12/04/18

अनुपालन आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.info@uppcb.com पर भेजी जाए। प्रकरण संवेदनशील है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपाल से आच्छादित है। अतः व्यक्तिगत ध्यान देकर एक सप्ताह के भीतर सूचना प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उक्त सूचना कृषि विभाग तथा पर्यावरण विभाग को समय से उपलब्ध करायी जा सके।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश मिश्र.)
सचिव।